न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
26/2012/प्रा.पत्र/2012	20.07.2012	25.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री कोमल कुमार गुप्ता निवासी पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स देवेन्द्र किराणा स्टोर पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स देवेन्द्र किराणा स्टोर पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv) एवं दण्डनीय धारा 58

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 25.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2012 को समय 10.30 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स देवेन्द्र किराणा स्टोर पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री कोमल कुमार गुप्ता निवासी पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स देवेन्द्र किराणा स्टोर पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **लाल मिर्च पावडर** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी. ओ. श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता देवेन्द्र कुमार गुप्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे एक प्लास्टिक के [illegible] 5 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर रखे हुये मे से 2 किलोग्राम एक प्लास्टिक की थैली में [illegible] नमूना जांच खरीदा जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:46:59 IST
Reason: SelfAttested

1241

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर** 2 किलोग्राम को हिलाकर चार खाली साफ एंव सूखी प्लास्टिक थेली मे बराबर–बराबर डालकर थेलियो को प्लास्टिक के डिब्बे मे रखकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–261 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–261 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2012/1394 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/317/एक्ट/2012/314 दिनांक 22.03.2012 अनुसार देवेन्द्र कुमार गुप्ता से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **लाल मिर्च पावडर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का **लाल मिर्च पावडर** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस लाल मिर्च पावडर का विकय कर रहा था वह जांच में

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:46:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री कोमल कुमार गुप्ता निवासी पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स देवेन्द्र किराणा स्टोर पंच कुइया दरवाजा पुरानी टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

25-8-21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:46:59 IST
Reason: SelfAttested

1243

Scanned by CamScanner